



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शनिवार, 05 मार्च, 2022 / 14 फाल्गुन, 1943

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

**LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-171002, the 21st February, 2022*

**No. Shram (A) 3-3/2018.—**In pursuance of the provision of regulation of 76 of the Employees State Insurance (General) Regulation, 1950 the Governor of Himachal Pradesh is

pleased to constitute Medical Appellant Tribunal on the state of Himachal Pradesh to entertain appeals of against the decision of Medical Board or Special Medical Board, as the case may be:—

- (1) This Tribunal will cover the whole area of Himachal Pradesh
- (2) The Joint Labour Commissioner, H.P. at Shimla 1 — Chairman
- (3) The Tribunal shall be assisted by the following :—
  - (a) One or more medical experts (Orthopedics Specialist and Eye Specialist). These Specialists will be from the ESI Hospital Parwanoo. In case they are not available in ESI Parwanoo, then these will be taken from the Civil Hospital, Parwanoo . Member
  - (b) The President B.M.S. Distt. Shimla (State Secretary), c/o Assistant Engineer Mechanical Sub. Divi. No. 2 HPPWD Bhatta Kuffer Shimla 171006 Phone No. 9418477575. . Member
  - (c) Medical Superintendent Civil/ESI Hospital, Parwanoo. . Member Secretary.

All cases of appeal will be put up before the Tribunal by member Secretary after proper examination in the form of formal agenda items.

By order,  
R. D. DHIMAN,  
*Addl. Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION Shimla-2, the 03rd March, 2022

**No. TPT-C (9)-5/2003.**—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration marks/number from Serial No. 0001 to 9999 under the Registration marks **HP-33AA** to Registering and Licensing Authority, Kotli, District Mandi, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (Extra Ordinary) in the public interest.

By order,

R. D. NAZEEM, IAS  
*Principal Secretary (Transport).*

---

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

मुनीष कुमार

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थी मुनीष कुमार सुपुत्र श्री राम, निवासी गांव सहेली, डा० कडसाई, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि. प्र. ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत—पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्रीराम व विद्या देवी निवासी गांव सहेली, डा० कडसाई, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के परिवार में दिनांक 25-04-1982 को हुआ है। परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कडसाई के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थी का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत कडसाई को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी मुनीष कुमार सुपुत्र श्रीराम के नाम एवं जन्म तिथि 25-04-1982 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन व वकालतन दिनांक 11-03-2022 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

---

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

उर्मिला देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री विक्रम जीत सिंह, निवासी गांव सरयाणा, डा० दंदर्वी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि. प्र. ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन—पत्र दायर किया है कि

उसका जन्म दम्पति श्री सीता राम व निर्मला देवी, निवासी गांव राहिल, डा० भकरेडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के परिवार में दिनांक 10–12–1961 को हुआ है। परन्तु उस समय अनज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत भकरेडी के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत भकरेडी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी उर्मिला देवी सुपुत्री श्री सीता राम के नाम एवं जन्म तिथि 10–12–1961 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन व वकालतन दिनांक 12–03–2022 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

शकुन्तला देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव सरयाणा, डा० दंदवी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि. प्र. ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन—पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री सीता राम व निर्मला देवी, निवासी गांव राहिल, डा० भकरेडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के परिवार में दिनांक 01–01–1958 को हुआ है। परन्तु उस समय अनज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत भकरेडी के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत भकरेडी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी शकुन्तला देवी सुपुत्री श्री सीता राम के नाम एवं जन्म तिथि 01–01–1958 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन व वकालतन दिनांक 12–03–2022 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार बड़सर,  
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

---

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

सुरेश कुमार

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थी सुरेश कुमार सुपुत्र सीता राम, निवासी गांव राहिल, डा० भकरेडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि. प्र. ने नियमानुसार आवेदन—पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री सीता राम व निर्मला देवी, निवासी गांव राहिल, डा० भकरेडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के परिवार में दिनांक 04–02–1961 को हुआ है। परन्तु उस समय अनज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत भकरेडी में न करवाया गया है। प्रार्थी का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत भकरेडी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी सुरेश कुमार सुपुत्र श्री सीता राम के नाम एवं जन्म तिथि पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को असालतन व वकालतन दिनांक 13–03–2022 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

---

ब अदालत वीना ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

धर्म सिंह सुपुत्र श्री गोपी राम, निवासी गांव व डा० टिप्पर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.— जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थी धर्म सिंह सुपुत्र श्री गोपी राम, निवासी गांव व डा० टिप्पर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) ने प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मनोज कुमार का जन्म दिनांक 15–07–1985 को महाल टिप्पर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) में हुआ है परन्तु अनभिज्ञता के कारण मनोज कुमार के नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज/पंजीकरण ग्राम पंचायत टिप्पर के अभिलेख में न करवाया जा सका। प्रार्थी चाहता है कि उसके पुत्र के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे सचिव ग्राम पंचायत टिप्पर को आदेश दिये जावे।

अतः इस नाटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व सम्बन्धित इलाका वासियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी मनोज कुमार सुपुत्र धर्म सिंह के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-03-2022 से पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त वर्णित दिनांक के उपरांत कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा।

इश्तहार आज दिनांक 18-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
बड़सर, जिला हमीरपुर (हिं0 प्र0)।

---

**In the Court of Dr. Harish Gajju, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sourabh aged 24 years s/o Sh. Bhuvnesh Kumar, r/o Village Ward No. 8, P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Samritika aged 24 years d/o Krishan Chand, Village Bajahar, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) *Applicants.*

*Versus*

The General Public.

*Respondent.*

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Sourabh aged 24 years s/o Sh. Bhuvnesh Kumar, r/o Village Ward No. 8, P.O. Sujanpur, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Samritika aged 24 years d/o Krishan Chand, Village Bajahar, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 13-08-2021 at Mahadev Gasota Mandir Vikas Committee, P.O. Bhoni, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 14-03-2022. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-02-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

---

**ब अदालत श्री कुलतार चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा तकसीम नं० : 08 / 2022 / टी०टी०पी०

तारीख पेशी : 24-03-2022

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

#### बनाम

श्री कमल सिंह पुत्र श्री सुभकर्ण आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .-1. श्री राजीव गुलेरियां पुत्र श्री पंजाब सिंह, 2. श्री गगन सिंह, पवन सिंह पुत्र श्री जोनी, वासी महाल हेव, 3. श्रीमती अंजु देवी पुत्री श्री लाव सिंह, 4. विनोद कुमार पुत्र भेखी राम, वासी महाल कानां सुंआ 5. राहुल राणा पुत्र श्री साहिब सिंह, महाल बटाहण, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 62, खतौनी नं० 146, ता० 150, खसरा कित्ता 8, रकबा तादादी 0-02-78 हेतु, वाकया महाल कानां सुंआ, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 62, महाल कानां सुंआ का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-02-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

---

**ब अदालत श्री कुलतार चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा तकसीम नं० 05 / 2022 / टी०टी०पी०

तारीख पेशी : 24-03-2022

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

#### बनाम

श्री कमल सिंह पुत्र श्री सुभकर्ण आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा  
(हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .—1. श्री अजय कुमार, संजीव कुमार, श्री राजीव गुलेरियां पुत्र श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री पंजाब सिंह, 2. श्री प्रियांसु गुलेरियां पुत्र व श्रीमती मोनिका धर्म पत्नी स्व० श्री राज कुमार, 3. श्री गगन सिंह, पवन सिंह पुत्र श्री जोनी समस्त वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 61, खतौनी नं० 140, ता० 145, खसरा कित्ता 24, रकबा तादादी 0—96—61 है०, वाकया महाल काना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 61, महाल काना सुंआ का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चर्सांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24—03—2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02—02—2021 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री कुलतार चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा तकसीम नं० : 06 / 2022 / टी०टी०पी०

तारीख पेशी : 24—03—2022

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)  
प्रार्थी।

बनाम

श्री जैसी राम पुत्र श्री कौड़ा आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)  
प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .—1. श्रीमती छवीला देवी, सुना देवी, सैना देवी उपनाम मनसा देवी पुत्रियां श्री कोड़ां समस्त वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 9, खतौनी नं० 12, ता० 14, खसरा कित्ता 38, रकबा तादादी 01—38—80 है०, वाकया महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० ०९, महाल हेव का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकत्रफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-02-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री कुलतार चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा तकसीम नं० : 07/2022/टी०टी०पी०

तारीख पेशी : 24-03-2022

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

#### बनाम

श्री कमल सिंह पुत्र श्री सुभकर्ण आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .—१. श्री अजय कुमार, संजीव कुमार, श्री राजीव गुलेरियां पुत्र श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री पंजाब सिंह, २. श्री प्रियांसु गुलेरियां पुत्र व श्रीमती मोनिका धर्म पत्नी स्व० श्री राज कुमार, ३. श्री गगन सिंह, पवन सिंह पुत्र श्री जोनी समस्त वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 27, खतौनी नं० 73, ता० 74, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी ०-११-५६ है०, वाकया महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सम्भू आदि वासी महाल हेव, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 27, महाल हेव का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया

8608

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 मार्च, 2022 / 14 फाल्नुन, 1943

जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-02-2021 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0)।

ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0)

मुकदमा तकसीम नं0 : 17 / 2021

तारीख पेशी : 24-03-2022

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुन्धी आदि वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0प्र0) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम -1. श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री सुशील कुमार, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.——हिं0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 130, खतोनी नं0 230, खसरा कित्ता 1121 / 357, रकबा तादादी 0-03-12 है0, वाकया महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिं0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 130 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चर्सांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-02-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हिं0 प्र0)।

---

**ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा तकसीम नं० : 16 / 2021

तारीख पेशी : 24–03–2022

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

### बनाम

श्री संसार चन्द पुत्र श्री संत राम आदि वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .-1. श्री अमित कुमार पुत्र श्रीमती विन्दु देवी पुत्री व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० श्री रमेश कुमार, 2. ज्ञान चन्द पुत्र श्री जयमल, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, 3. श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री किशन दत्त, गांव व डा० पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 82, खतौनी नं० 127, खसरा कित्ता 414, रकबा तादादी 0—03—95 है०, वाकया महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 09 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चर्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24—03—2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01—02—2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

---

**ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा तकसीम नं० : 13 / 2021

तारीख पेशी : 24—03—2022

श्री सुनील कुमार, मुनील कुमार पुत्र श्रीमती आशां देवी, 2. अर्जुन सिंह, मिलाप सिंह, राकेश कुमार, रवि कुमार पुत्र श्रीमती रत्नी, 3. मनजीत कुमार पुत्र श्रीमती निशा देवी, श्रीमती सपना देवी पुत्रियां श्रीमती विक्रमा देवी, वासी महाल लाहडु, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

### बनाम

श्री धर्म सिंह पुत्र श्रीमती सरधा आदि, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा  
(हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .-1. श्री अमर सिंह, कल्याण सिंह पुत्र श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्री श्री प्यार सिंह, 2. श्री रंजीत सिंह पुत्र श्रीमती विन्ता देवी, सुदेश कुमारी पुत्रियां श्री उमदा राम, 3. श्रीमती गीता देवी पुत्री लच्छमण, 3. विकास पुत्र समना देवी पुत्री श्रीमती रोशनी देवी, 4. मस्तु उपनाम मस्त राम पुत्र श्री देवा, 2. मंजीत सिंह पुत्र श्रीमती कुसुम लता, श्रीमती सुमन लता पुत्रियां श्री दीना नाथ, 3. मनु कुमारी पुत्री प्रशोतम चन्द उपनाम चन्द्रशेखर 4. नरेश कुमार पुत्र मुन्ही राम, 5. अनीता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व प्रकाशां देवी पत्नी स्व0 श्री परश राम, 6. श्रीमती साहनी देवी, सुती देवी रूहमती पुत्रियां श्री महतावा, 7. श्री बलदेव सिंह, देश राज, जोगिन्दर पाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द, 8. कर्ण सिंह, रणधीर सिंह पुत्र श्री जगदीश, 9. श्रीमती सलोचना देवी वासी महाल लाहडू, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 25, खतौनी नं0 56, ता0 74, खसरा कित्ता 131, रकबा तादादी 1—44—03 है0, वाकया महाल लाहडू, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

‘इतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री सुनील कुमार आदि, वासी महाल लाहडू, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 18 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थिगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थिगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इतहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चर्चांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24—03—2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01—02—2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा तकसीम नं0 : 15 / 2021

तारीख पेशी : 24—03—2022

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्ही, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)  
प्रार्थी।

बनाम

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मुन्ही आदि वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा  
(हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .-1. श्री अमित कुमार पुत्र श्रीमती विन्दु देवी पुत्री व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री रमेश कुमार, 2. ज्ञान चन्द पुत्र श्री जयमल वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, 3. सुदेश

कुमार, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री किशन दत्त, गांव व डाठ पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 87, खतौनी नं० 204, ता० 206, खसरा कित्ता 12, रकबा तादादी 0—14—12 है०, वाकया महाल काना सुआ, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्ही, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 87 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चर्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24—03—2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करे अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01—02—2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकदमा तकसीम नं० : 18 / 2021

तारीख पेशी : 24—03—2022

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्ही, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

#### बनाम

श्री संसार चन्द पुत्र श्री संत राम आदि वासी महाल हलुं, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .—1. श्री अमित कुमार पुत्र श्रीमती विन्दु देवी पुत्री व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० श्री रमेश कुमार, 2. तरलोक चन्द पुत्र श्री झौंफी वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, 3. सुदेश कुमार, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री किशन दत्त, गांव व डाठ पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 81, खतौनी नं० 126, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 0—03—60 है०, वाकया महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 81 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-03-2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01-02-2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

### ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकदमा तकसीम नं० : 14 / 2021

तारीख पेशी : 24-03-2022

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)  
प्रार्थी।

#### बनाम

श्री संसार चन्द पुत्र श्री संत राम आदि वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम—1. श्रीमती अर्चना पत्नी श्री सतीश कुमार, वासी महाल टिकरी, तहसील थुरल, 2. श्री अमित कुमार पुत्र श्रीमती विन्दु देवी पुत्री व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० श्री रमेश कुमार, 3. दौलत राम पुत्र मखौली, 4. अशोक कुमार पुत्र मेहर चन्द, 5. लौकु राम, भूमि राम पुत्र रशीला, 6. अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती कमला देवी पुत्री बलदेव सिंह, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, 3. सुदेश कुमार, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री श्री किशन दत्त, गांव व डा० पट्टी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय—हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 80, खतौनी नं० 114, ता० 125, खसरा कित्ता 40, रकबा तादादी 01-06-16 है०, वाकया महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री शयाम प्रकाश पुत्र श्री मुन्धी, वासी महाल हंलु, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 80 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह

उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24–03–2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01–02–2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकदमा तकसीम नं० : 04 / 2022

तारीख पेशी : 24–03–2022

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रिडकु, वासी महाल मलघूणी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थी।

#### बनाम

श्री हुक्म चन्द, सुरजीत सिंह पुत्र व श्रीमती सुर्दशना कुमारी, संसारो देवी पुत्रियां श्री शयामा आदि वासी महाल मलघूणी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम .—1. श्रीमती सुर्दशना कुमारी, संसारो देवी पुत्रियां श्री शयामा आदि वासी महाल मलघूणी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 120, खतौनी नं० 166, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 0–17–57 है०, वाकया महाल मलघूणी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रिडकु, वासी महाल मलघूणी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 166 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24–03–2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01–02–2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

---

**ब अदालत श्री कुलतार सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकदमा तकसीम नं० : 12 / 2021

तारीख पेशी : 24–03–2022

1. श्री सुनील कुमार, मुनील कुमार पुत्र श्रीमती आशा देवी 2. अर्जुन सिंह, मिलाप सिंह, राकेश कुमार, रवि कुमार पुत्र श्रीमती रत्नी, 3. मनजीत कुमार पुत्र श्रीमती निशा देवी, श्रीमती सपना देवी पुत्रियां श्रीमती विक्रमा देवी, वासी महाल लाहडु, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

## बनाम

1. श्रीमती कांता देवी पल्नी स्व० श्री नीरु उपनाम राम सिंह आदि, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम —1. श्री मस्तु उपनाम मस्त राम पुत्र श्री देवा, 2. मंजीत सिंह पुत्र श्रीमती कुसुम लता, श्रीमती सुमन लता पुत्रियां श्री दीना नाथ, 3. मनु कुमारी पुत्री प्रशोतम चन्द उपनाम चन्द्रशेखर, 4. नरेश कुमार पुत्र मुन्धी राम, 5. अनीता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व प्रकाशां देवी पत्नी स्व० श्री परश राम, 6. श्रीमती साहानी देवी, सुती देवी रुहमती पुत्रियां श्री महतावा, 7. श्रीमती साहवो देवी पल्नी स्व० श्री हुक्म चन्द, वासी महाल कंडी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय—हि० प्र० भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 18, खतौनी नं० 36, ता० 45, खसरा कित्ता 100, रकबा तादादी 1–01–37 है०, वाकया महाल लाहडु, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री सुनील कुमार आदि, वासी महाल लाहडु, मौजा मूण्डी, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में खाता नं० 18 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार—बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी, चर्चांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकदमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24–03–2022 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01–02–2022 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

---

**ब अदालत जगदीश चन्द, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल,**  
**जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 05–04–2022

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री भागीरथ, निवासी गांव भनवाड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, प्रार्थी। (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल काना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

प्रार्थी श्री मेहर सिंह पुत्र श्री भागीरथ, निवासी गांव भनवाड, डाकघर व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि० प्र०) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व अन्य दस्तावेज में मेहर सिंह दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी मेहर सिंह ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल काना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल में उसका नाम मोहर सिंह गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल काना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके मोहर सिंह के बजाए मोहर सिंह उपनाम मेहर सिंह पुत्र श्री भागीरथ दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुन्नादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल काना सुंआ, मौजा व तहसील थुरल में मोहर सिंह के बजाए मोहर सिंह उपनाम मेहर सिंह पुत्र श्री भागीरथ दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 05—04—2022 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 03—02—2022 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी थुरल,  
तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना० तहसीलदार, भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 01—BNT / 2021

दायर तिथि : 27—01—2022

श्रीमती चेतमा देवी पत्नी श्री राम कृष्ण ठाकुर, निवासी गांव व डा० मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती चेतमा देवी पत्नी श्री राम कृष्ण ठाकुर, निवासी गांव व डा० मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसकी पुत्री मुकता ठाकुर का जन्म दिनांक 07—04—2017 को स्थान व डा० मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) में हुआ है परन्तु वह जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मलाणा, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) के अभिलेख में दर्ज न कर सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मुक्ता ठाकुर पुत्री श्री राम कृष्ण ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना० तहसीलदार,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहासक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 01–NCNT / 2022

दायर तिथि : 12–01–2022

श्री राजू पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव व डा० खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।  
प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरख्खास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री राजू पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव व डा० खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने दिनांक 12–01–2022 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से फाटी व कोठी खोखन के राजस्व दस्तावेज में श्री राजू पुत्र श्री परस राम की जगह श्री राज कुमार पुत्र श्री परस राम हुआ हैं। जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री राज कुमार उर्फ राजू दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 09–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 02-DNT / 2022

दायर तिथि : 27-01-2022

श्रीमती भगती देवी पत्नी श्री दौलत राम, निवासी गांव खोखन, डा० खोखन, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भगती देवी पत्नी श्री दौलत राम, निवासी गांव खोखन, डा० खोखन, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया गया है कि उसकी सास स्व०  
पूर्वी पत्नी श्री स्वारू राम की मृत्यु दिनांक 14-10-2018 को स्थान गांव खोखन, डा० खोखन में हुई है परन्तु  
उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू  
(हि० प्र०) के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को  
स्व० पूर्वी पत्नी श्री स्वारू राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-03-2022  
को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा  
सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के  
आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 03-DNT / 2022

दायर तिथि : 02-12-2021

श्री निरत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सुआ, डा० मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू  
(हि० प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री निरत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सुआ, डा० मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू  
(हि० प्र०) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसके चाचा स्व० रूप दास पुत्र श्री

परस राम की मृत्यु दिनांक 15—09—1971 को स्थान गांव सुआ, डा० मौहल में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व० रूप दास पुत्र श्री परस राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 04—DNT / 2022

दायर तिथि : 02—12—2021

श्री निरत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सुआ, डा० मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री निरत राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सुआ, डा० मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसके दादा स्व० परस राम पुत्र श्री दिला राम उर्फ विद्या राम की मृत्यु दिनांक 14—01—1973 को स्थान गांव सुआ, डा० मौहल में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश सचिव ग्राम पंचायत शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) के अभिलेख में दर्ज न किया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व० परस राम पुत्र श्री दिला राम उर्फ विद्या राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,  
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 01/ME/T/2022

दिनांक :

श्री शेर सिंह सुपुत्र श्री देव राज, निवासी गांव व डा० अरछण्डी, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

व

श्रीमती रेखा देवी सुपुत्री श्री पाम्पलू निवासी गांव ठारू, डा० जडोल, तहसील सुन्दनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)। प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) हि० प्र० रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 03—01—2022 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15—05—2019 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान अरछण्डी में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे—सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राम दयाल,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 02/ME/T/2021

दिनांक :

श्री जय चन्द सुपुत्र श्री उत्तम चन्द, निवासी गांव टण्डारी—2, डा० भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

व

श्रीमती रीना सुपुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव फलाण, डा० शालंग, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)। प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण |

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) हिं0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक ..... को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 05—11—2020 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान टण्डारी में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे—सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर |

राम दयाल,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)।

ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू  
जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)

केस नं0 : 03/ME/T/2022

दिनांक :

श्री वरेस्तु सुपुत्र श्री दोत राम, निवासी गांव कोटा आगे, डाठ काईस, तहसील व जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)।

व

श्रीमती लता देवी सुपुत्री श्री शेर सिंह, निवासी गांव डमचीण, डाठ फोजल, तहसील व जिला कुल्लू (हिं0 प्र0)। प्रार्थीगण |

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण |

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) हिं0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 19—01—22 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15—07—2020 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान कोटा आगे में शादी कर

ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे—सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूत्रत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राम दयाल,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राम दयाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू  
जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 04/ME/T/2022

दिनांक :

श्री जय सिंह सुपुत्र श्री जंग बहादुर, निवासी गांव चरमाली, डा० खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

व

श्रीमती कला देवी सुपुत्री श्री जय सिंह, निवासी गांव तेलंग, डा० भूटटी, तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) हि० प्र० रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 20–01–22 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23–06–2007 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान चरमाली में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व सगे—सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूत्रत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

राम दयाल,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)**

केस नं० : 01/BE/T/2022

श्री सोनू

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्री सोनू सुपुत्र श्री नन्द लाल, गांव धल्याणा, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि सोनू का जन्म दिनांक 10-04-1995 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भल्याणी के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सोनू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-03-2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत भल्याणी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)**

केस नं० : 02/BE/T/2022

श्रीमती बीना देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्रीमती बीना देवी पुत्री श्री गंगे राम, निवासी गांव सुम्मा, डाकघर डुघीलग, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि बीना देवी का जन्म दिनांक 01-07-1972 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत डुघीलग के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को बीना देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक

11–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 03/B/E/T/2022

श्रीमती ब्रेस्टी देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्रीमती ब्रेस्टी देवी पुत्री श्री ठाकुर, निवासी गांव व डाकघर डुघीलग, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि ब्रेस्टी देवी का जन्म दिनांक 10–02–1973 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत डुघीलग के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को ब्रेस्टी देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11–03–2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11–02–2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 04/B/E/HT/2022

श्रीमती अरुणा महन्त

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्रीमती अरुणा महन्त पुत्री श्री दीना नाथ महन्त, निवासी गांव व डाकघर न्योली, तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अरुणा महन्त का जन्म दिनांक 14—04—1983 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत न्योली के अभिलेख में दर्ज न हुआ।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अरुणा महन्त की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० : 05/BE/HT/2022

श्री अजय कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम 1969 बारे।

श्री अजय कुमार पुत्र श्री होतम राम, निवासी गांव सोयल, डाकघर कराड़सू तहसील व जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बेटे मोहित कुमार का जन्म दिनांक 18—12—2019 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कराड़सू के अभिलेख में दर्ज न हुआ है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को मोहित कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11—03—2022 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)**

केस नं० : 04/CET/2022

केस दायर : 20-01-2022

संदीप सिंह पुत्र श्री गुरदर्शन सिंह, निवासी गरचा बिल्डिंग, 67/11, टिक्कर वावली कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— दरख्वास्त बराए राजस्व अभिलेख में जाति दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय पर संदीप सिंह पुत्र श्री गुरदर्शन सिंह, निवासी गरचा बिल्डिंग, 67/11, टिक्कर वावली कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने दिनांक 26-10-2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में राजस्व रिकार्ड में जाति दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसे बाद रिपोर्ट व छानबीन हेतु क्षेत्र कानूनगो कुल्लू को प्रेषित किया था, जिसकी रिपोर्ट कानूनगो कुल्लू व पटवारी हल्का बल्ह से हो चुकी है। जिसके अनुसार कागजात माल में प्रार्थी की जाति व उपजाति अन्य दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ ग्राम पंचायत छिनीवाज द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसके अनुसार प्रार्थी सिख जाति से सम्बंध रखते हैं तथा शपथ-पत्र की प्रति भी संलग्न है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संदीप सिंह पुत्र श्री गुरदर्शन सिंह, निवासी गरचा बिल्डिंग, 67/11, टिक्कर वावली कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०) की जाति दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस इश्तहार के जारी होने के एक माह के भीतर लिखित रूप में उजर/एतराज दायर करेगा। यदि उक्त समय अवधि तक कोई भी उजर/एतराज दायर नहीं हुआ तो राजस्व रिकार्ड में संदीप सिंह पुत्र श्री गुरदर्शन सिंह, निवासी गरचा बिल्डिंग, 67/11, टिक्कर वावली कुल्लू तहसील व जिला कुल्लू (हि० प्र०) की जाति दर्ज करने बारे आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 20-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
कुल्लू जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Vivek Chandel s/o Shri M.S. Chandel, r/o Village Talwar, P.O. Chandpur, District Bilaspur (H.P.) at present Director, Technical Education, Himachal Pradesh, Sundernagar, District Mandi (H.P.).
2. Diviya Chandel d/o Shri M.V.S. Negi, r/o Village Mebar, Tehsil Kalpa, District Kinnar (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1955.*

Vivek Chandel s/o Shri M.S. Chandel and Diviya Chandel d/o Shri M.V.S. Negi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 06-09-2004 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-03-2022. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11-02-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Gauri Devi w/o Sh. Nar Bahadur, r/o Set No.-9, Block No.-2, Type-I, Forest Colony Chakkar, Shimla-5, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh ..Applicant.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Gauri Devi w/o Sh. Nar Bahadur, r/o Set No.-9, Block No.-2, Type-I, Forest Colony Chakkar, Shimla-5, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely SMT. GAURI DEVI (DOB 14-08-1973) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25th February, 2022.

Seal.

Sd/-

*MANJEET SHARMA (HPAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla.*

**In the Court of Sh. Rajinder Singh, Assistant Controller, Ist Grade, Kupvi,  
District Shimla (H. P.)**

Shri Kamal Chand s/o Sh. Dei Ram, Village Gaonkhar, P.O. Dhar-Chandna, Tehsil Kupvi,  
District Shimla, (H. P.) . . . *Applicant.*

*Versus*

General Public .. *Respondent.*

*Subject.*—Application u/s 35 to 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of name in revenue record.

Whereas, the applicant Shri Kamal Chand s/o Sh. Dei Ram, Village Gaonkhar, P.O. Dhar-Chandna, Tehsil Kupvi, District Shimla, (H. P.) has filed an application in this court alongwith affidavit and copies of Adhar Card, copy of Parivar register stating that his father name has been recorded in the revenue record as Chet Ram wrongly in place of Dei Ram and requested to correct the name in revenue record Up-Mohal Gaonkhar as Chet Ram. He further stated that in other documents his name is recorded as Rattan Dei Ram.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name of the applicants in the revenue record as Chet Ram instead of Dei Ram may file their objections/claims before this court within a period of one month from the publication of this notice in the Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.

Issued under my signature and seal of the court on 17-02-2022

Seal.

RAJINDER SINGH,  
*Assistant Controller, Ist Grade, Kupvi,  
District Shimla (H. P.).*

---

**In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Thesil Sunni District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

Partition Case No. 6-IX-/2020

Next Date of Hearing : 22-03-2022

Krishna Devi w/o Durgadass s/o Harju Ram, Village Randoul, P.O. Tatapani, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, (H. P.) . . . *Applicant.*

*Versus*

1. Shri Chiranjit Lal s/o Tholu Mal Alias Tholu Ram s/o Shiv Dayal, r/o Village Sunn 1st, P.O. Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla.
2. Shri Brij Lal s/o Tholu Mal Alias Tholu Ram s/o Shiv Dayal, c/o Shri Charanji Lal.
3. Shri Yadvender s/o Tholu Mal Alias Tholu Ram s/o Shiv Dayal, r/o Village at presently Advocate, District Court Dhaulpur, District Kullu.
4. Smt. Shushila widow Tholu Mal Alias Tholu Ram s/o Shiv Dayal, c/o Shri Charanji Lal.
5. Smt. Kaushalya w/o Kali Ram s/o Puran Chand, r/o Village Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Through SPA Smt. Krishna Devi.

6. Smt. Sarswati w/o Shri Beli Ram s/o Dhani Ram, r/o Village Sunni IInd, Tehsil Sunni,  
District Shimla. .. Respondent.

The above partition case title as mentioned above is pending in this court for mode of Partition. This court is now satisfied that the service Shri Yadvender s/o Tholu Mal Alias Tholu Ram s/o Shiv Dayal, r/o Village at present Advocate, District Court Dhaalpur, District Kullu respondent No.-3 can not be served in an ordinary way of process. Hence, this publication is hereby issued against the above named respondent No.-3 and further directed to appear personally or through an authorized agent before this court on 22-03-2022 at 10.00 A.M. In case if failed to appear on the aforesaid date and time it will be presumed that you have nothing to say in this regard and you would be proceeded an ex-parte.

Given under may hand and seal of this court today on 18-02-2022.

*Assistant Collector, Ist Grade,  
Tehsil Sunni, District Shimla (H. P.).*

**In the Court of Sh. Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Kanta w/o Sh. Nirmal Kumar, r/o Down Dale, Phagli, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh .. Applicant.

*Versus*

General Public .. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Kanta w/o Sh. Nirmal Kumar, r/o Down Dale, Phagli, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her father namely Sh. Jai Ram (DOD-27-09-2000) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 2nd December, 2021.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०)**

मुकदमा संख्या : 30 / 2019

तारीख मरजुआ : 16—10—2019

तारीख पेशी : 01—04—2022

श्रीमती सरला कुमारी पत्नी स्व० श्री देव दत, निवासी मोहाल टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला मारफत मुख्तयारनामाखास श्री अशोक शर्मा पुत्र स्व० श्री गंगा राम, निवासी गांव फतेची, डाकघर रौड़ी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ..प्रार्थिया ।

**बनाम**

1. श्री अमित पुत्र श्री लेख राम, 2. श्री औंकार दत पुत्र श्री सालिग राम, 3. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, 4. मेहर चन्द पुत्र श्री घन्यैया राम, 5. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मोती राम, 6. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री परस राम, 7. श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री मोती राम, 8. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, 9. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री काम राज, 10. श्री रविन्द्र दत पुत्र श्री चन्दी राम, समस्त निवासी मोहाल टुटू तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०) प्रतिवादीगण ।

**प्रार्थना—पत्र बराय जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू—विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 307 / 524, कित्ता 16, रकबा तादादी 00—10—42 हैक्टेयर, वाका मौजा टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ।**

यह कि श्रीमती सरला कुमारी पत्नी स्व० श्री देव दत, निवासी मोहाल टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला मारफत मुख्तयारनामाखास श्री अशोक शर्मा पुत्र स्व० श्री गंगा राम, निवासी गांव फतेची, डाकघर रौड़ी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू—विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 307 / 524, कित्ता 16, रकबा तादादी 00—10—42 हैक्टेयर, वाका मौजा टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं० 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 की तामील सही पता ज्ञान न होने के कारण न हो पा रही है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 की तामील साधारण तरीके से होना संभव न है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रतिवादी नं० 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 व उक्त अन्य प्रतिवादीगणों में से किसी को भी उपरोक्त मुकदमा बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 01—04—2022 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26—02—2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि० प्र०)।

---

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि० प्र०**

किस्म मुकदमा पंजीकरण शादी श्री औंकार सिंह पुत्र मेला राम, वासी वाथडी व योजना देवी पुत्री तुलसी, वासी भोल, तहसील बगाणा, जिला ऊना।

**बनाम**

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन—पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

प्रार्थी श्री औंकार सिंह पुत्र मेला राम, वासी वाथडी व योजना देवी पुत्री तुलसी, वासी भोल, तहसील बगाणा, जिला ऊना ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 16-02-2021 को गांव वाथडी में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत वाथडी में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 10-03-2022 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। अन्यथा उसके बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा। और उक्त शादी पंजीकरण करने के लिए सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकदमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
हरोली, जिला ऊना (हि०प्र०)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,  
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Shashi Pal Yadav s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village Kathalag, P.O. Badaghpat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present r/o House of Sh. Parmel Kumar s/o Sh. Sita Ram Village Pansai, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Reeta Devi d/o Sh. Bhagwan Dass, r/o Village & P.O. Tikkri Kuthar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).*

Sh. Shashi Pal Yadav s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village Kathalag, P.O. Badaghpat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present r/o House of Sh. Parmel Kumar s/o Sh. Sita Ram Village Pansai, P.O. Budhan, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Reeta Devi d/o Sh. Bhagwan Dass, r/o Village & P.O. Tikkri Kuthar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) at present w/o Sh. Shashi Pal Yadav s/o Sh. Milkhi Ram, r/o Village Kathalag, P.O. Badaghpat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 28-01-2022 according to Hindu rites and customs at Jamasni Devi Mandir, Dhundla, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-03-2022 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 1st February, 2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

